

The National Commission for Detection and Reporting of Cases of Atrocities and Caste Discrimination Against Scheduled Castes And Scheduled Tribes Bill, 2024-Introduced

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति अत्याचार और जातिगत भेदभाव के मामलों का पता लगाने व रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति अत्याचार और जातिगत भेदभाव के मामलों का पता लगाने व रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

एडवोकेट चन्द्र शेखर (नगीना) : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सुधाकरन उपस्थित नहीं ।

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे उपस्थित नहीं ।

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत उपस्थित नहीं ।